



सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

कोटा विश्वविद्यालय,
University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.32(2)आरबी/2021/5262
दिनांक : 24 सितम्बर, 2021

आदेश

मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2003 (यथा संशोधित) की धारा 11(3) व (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोजबीन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार के परामर्श से प्रो. नीलिमा सिंह, पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए कोटा विश्वविद्यालय, कोटा का कुलपति नियुक्त करता हूँ।

यह नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतर्कता अनापत्ति प्रस्तुत करने के अधीन होगी।


हस्ता0
(कलराज मिश्र)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.32(2)आरबी / 2021 / 5263

दिनांक : 24 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रो. आर. ए. गुप्ता, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा,।
5. प्रो. नीलिमा सिंह, 83, महाराणा प्रताप नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
6. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
7. कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा,।
8. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल, राजभवन को राजभवन की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

 24/9/21

(सुबीर कुमार)

सचिव,

राज्यपाल, राजस्थान



सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

.....विश्वविद्यालय,
Kota University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

No. : F. 32(2)RB/2021/ 5262
Dated : 24 September, 2021

ORDER

In exercise of the powers vested in me under Section 11(3) and (7) of the University of Kota Act, 2003 (As Amended), on the recommendations of the Search Committee and in consultation with the State Government. I, Kalraj Mishra, Governor of Rajasthan and Chancellor, University of Kota, Kota do hereby appoint Prof. Neelima Singh, Former Vice-Chancellor, Kota University, Kota as Vice Chancellor, University of Kota, Kota for a period of three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier.

The posting as such shall be subject to vigilance clearance from the competent authority.


Sd/-
(Kalraj Mishra)
Governor of Rajasthan and Chancellor

No. : F.32(3)RB/2011/ 5263

Dated : 24 September, 2021

Copy forwarded for information & necessary action to :-

1. Chief Secretary to Government of Rajasthan, Jaipur.
2. Principal Secretary to Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. Secretary to Government, Higher & Technical Education Department, Rajasthan, Jaipur.
4. Prof. R.A. Gupta, Vice-Chancellor, University of Kota, Kota.
5. Prof. Neelima Singh, 83, Maharana Pratap Nagar, Gwalior, Madhya Pradesh.
6. Registrar, University of Kota, Kota.
7. Registrar, Rajasthan Technical University, Kota.
8. Officer in Charge, I.T. Cell, Raj Bhawan for uploading on the website Raj Bhawan.


24/9/21

(Subir Kumar)
Secretary to
Governor, Rajasthan